संख्या–2–ई.एम./2009–का–4–2010

प्रेषक,

वी.के.शर्मा,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन ।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश ।
3. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी,
   उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग–4 लखनऊः दिनांकः 27 जनवरी, 2010

विषयः– राज्य कर्मचारियों के द्वारा की गयी हड़ताल के संबंध में ।

महोदय,

राज्य कर्मचारियों द्वारा दिनांक 22.1.2010 को घोषित की गयी अनिश्चित कालीन हड़ताल के समाप्त हो जाने के उपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ हैः–

(1) हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों के विरूद्ध उत्पीड़न की कार्यवाही नहीं की जायेगी ।

(2) हिंसात्मक गतिविधियों/तोड़फोड़ के आरोप में गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों को छोड़कर अन्य प्रकरणों में गिरफ्तार किये गये कर्मचारियों को विधिक प्रकिया का अनुपालन करते हुए छोड़ने की कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाय ।

(3) जिन कर्मचारियों को निलम्बित किया गया है अथवा जिनकी सेवा समाप्ति के आदेश निर्गत किये गये हैं, उन आदेशों को वापस लेकर संबंधित कर्मचारियों को कार्यभार ग्रहण करा लिया जाय ।

(4) 'ब्रेक इन सर्विस' संबंधी आदेशों को वापस लिया जाता है ।

2. अनुरोध है कि हड़ताल में सहभागिता करने वाले कर्मचारियों के संबंध में उपर्युक्तानुसार कार्यवाही की जाय ।

भवदीय,

(वी.के.शर्मा)
मुख्य सचिव